

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की तहसील सेलाना में और झाबुआ जिले में धनेक स्थानों पर सूखा पडने तथा फसलें नष्ट हो जाने के कारण आदिवासियों का मुख्य खाद्य पदार्थ मक्का का उत्पादन अत्यधिक कम हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यहाँ के आदिवासियों ने मक्का के स्थान पर 'माइलो' खाना स्वीकार कर लिया है परन्तु वह भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहा है जिससे वहाँ लगभग भुखमरी की सी स्थिति पैदा हो गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सम्बन्धित क्षेत्र के खाद्य निगम को आदिवासियों के लिए 'माइलो' की सप्लाई करने का अनुरोध किया गया था परन्तु उन्होंने भी 'माइलो' सप्लाई करने से इन्कार कर दिया है ; और

(घ) यदि हा, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा 'माइलो' सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बानू प्रताप सिंह) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि रतलाम जिले के सेलाना तहसील में अनियमित वर्षा होने और झाबुआ जिले में अत्यधिक वर्षा होने के कारण मक्का के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ।

(ख) में (घ). मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि आदिवासियों को मक्का के विकल्प के रूप में माइलो स्वीकार्य है । केन्द्रीय भण्डार में आयातित माइलो का स्टॉक लगभग समाप्त हो गया है और अब कोई आयात नहीं किया गया है । मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के डिपो में माइलो की जो थोड़ी मात्रा उपलब्ध है उसे राज्य सरकार को उसकी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया गया है भयवा दिया जा रहा है

ताकि वे उसे झाबुआ और रतलाम जिलों के प्रभावित क्षेत्रों की दे सकें । महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के डिपो में उपलब्ध 500 मीटरी टन माइलो भी मध्य प्रदेश सरकार को भ्रवटित कर दिया गया है । और मध्य प्रदेश को उक्त स्टॉक भेजने के लिए अनुबंध जारी कर दिए गए हैं राज्य सरकार को यह भी सूचित किया गया है कि यदि राज्य सरकार की इच्छा हो तो उन्हें माइलो के स्थान पर गेहूँ की प्रतिरिक्त मात्रा भ्रवटित की जा सकती है ।

पश्चिमी बंगाल को चावल, गेहूँ और चीनी का भ्रवटन

7117. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री पश्चिम बंगाल को चावल, गेहूँ और चीनी के भ्रवटन के बारे में 12 दिसम्बर, 1977 के तारिकित प्रश्न सख्या 368 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) पश्चिम बंगाल की सरकार ने वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान कितनी मात्रा में चावल, गेहूँ और चीनी की मांग की थी और केन्द्रीय सरकार ने उसका कितनी मात्रा में भ्रवटन किया था ; और

(ख) वर्ष 1976-77 के लिए भ्रवटित कोटे में से चावल और गेहूँ की कितनी मात्रा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त थी और वर्ष 1977-78 के दौरान सरकार का विचार कितनी मात्रा में इन वस्तुओं की सप्लाई करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बानू प्रताप सिंह) : (क). पश्चिमी बंगाल के बारे में चावल और गेहूँ की मांग

श्रीर आवाटन के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है —

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	माघ		श्रावण	
	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ
1976-77	5 8 18 7 4 2 18 7			
1977-78	9 1 21 0 8 7 21 0			

पश्चिमी बंगाल सरकार को आवाटन लेवी चीनी की मात्रा इस प्रकार है —

(लाख मीटरी टन)

1976-77	2 28*
1977-78	2 47*

\*इसमें भेषज निर्माताओं सीमा सुरक्षा दल, श्रीर सी०आर०पी० के लिए आवाटन शामिल है ।

दिसम्बर 1977 से आगे लेवी चीनी के आवाटन का मासिक कोटा 21 994 मीटरी टन (भेषज निर्माताओं, सीमा सुरक्षा दल और सी०आर०पी० की जरूरतों को छोड़कर) कर दिया गया है । यह कोटा 1-4-1978 का प्रायोजित जनसङ्ख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किया गया था । पश्चिमी बंगाल सरकार ने 28 225 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक आवाटन करने के लिए कहा था (इसमें भेषज निर्माताओं सीमा सुरक्षा दल और सी०आर०पी० की जरूरतें शामिल नहीं हैं) । राज्य सरकार के लिए लेवी चीनी का कोटा निर्धारित करने के लिए अपनाया गया आधार उन्हें बताया गया है और राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि लेवी चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि करना सम्भव नहीं है ।

(ख) 1976-77 के आवाटनों के प्रति राज्य सरकार को मानव उपयोग के अयोग्य चावल और गेहूँ का कोई स्टॉक नहीं दिया गया है । 1977-78 के दौरान, राज्य सरकार

द्वारा आवाटनों के प्रति 5 62 लाख मीटरी टन चावल और 11 95 लाख मीटरी टन गेहूँ लिया गया था ।

West Bengal opposition to cordoning of movement of paddy and rice

7118 SHRI SAMAR GUHA Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) whether the Government of West Bengal opposed withdrawal of State-wise and district-wise cordoning of movements of paddy and rice;

(b) whether after withdrawal of such cordoning, the State faced any difficulty for which its Government lodged any complaint with the Central Government and if so, facts thereabout,

(c) whether withdrawal of cordon has in anyway affected either price or supply of food and distribution of food through ration shops and if so, facts thereabout and

(d) whether West Bengal Government asked for additional supply of food for the State and if so, facts thereabout?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) (a) to (c) Government of West Bengal had represented at the outset for reconsideration of the decision to lift restrictions on movement of paddy and rice mainly on the grounds that the procurement of paddy/rice in the State would be adversely affected and that the open market price of rice would rise on account of large movement of paddy and rice to other States. The basic aspects of the new policy of allowing free movement of rice/paddy throughout the country were explained to the State Government, who were assured that Government of India would come to their assistance to the extent necessary for effective maintenance of public distribution system. There-